प्रेसनोट –
दिनांक- 17.09.2026
जनपद मऊ ।

अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ द्वारा पुलिस लाइन में स्थित क्वार्टर गार्द में विधि-विधान से भगवान विश्वकर्मा की पूजा-अर्चना की गयी ।

देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा के अवतरण दिवस के अवसर पर आज दिनांक 17.09.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार द्वारा पुलिस लाइन में स्थित क्वार्टर गार्द में आयोजित शस्त्रों की पूजा कार्यक्रम में प्रतिभाग कर विधि-विधान से देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा पाठ किया गया।

इस अवसर पर पुलिस लाइन परिसर में स्थापित शस्त्रों, वाहनों एव अन्य पुलिस उपकरणों की विधिवत पूजा अर्चना की गई। तथा पूजन के बाद अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी को मिष्ठान वितरित कर शुभकामनाएं दी । इस अवसर पर, प्रतिसार निरीक्षक, एवं पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

प्रेस नोट
दिनांक- 17.09.2026
जनपद मऊ

सेवा संकल्प अभियान के तहत माननीय मंत्रीगण, जिलाधिकारी मऊ एवं पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरित कर जाना हालचाल

आज दिनांक 17.09.2026 को सेवा संकल्प अभियान के तहत माननीय मंत्री श्री दयाशंकर सिंह एवं माननीय मंत्री श्री दारा सिंह चौहान, जिलाधिकारी मऊ तथा पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा जिला अस्पताल मऊ का भ्रमण किया गया।

इस दौरान माननीय मंत्रीगण, जिलाधिकारी मऊ श्री आनन्द वर्धन एवं पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए गए तथा मरीजों एवं उनके तीमारदारों से मिलकर उनका हालचाल एवं कुशलक्षेम जाना गया।

अधिकारीगण द्वारा मरीजों से अस्पताल में मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं एवं उपचार के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई तथा संबंधित चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस अवसर पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण एवं अस्पताल प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे।

***प्रेसनोट* –**
दिनांक- 17.09.2026
थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ।

पाक्सो एक्ट के मामले में वांछित एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना सरायलखंसी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 17.09.2026 को ग्राम अलीपुर चट्टी के पास से मु0अ0सं0- 315/2026 धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट, थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ से सम्बन्धित वाछिंत अभियुक्त नितेश कुमार पुत्र स्व0 रामलक्षन राम निवासी ग्राम पीरूआ थाना रानीपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1. नितेश कुमार पुत्र स्व0 रामलक्षन राम निवासी ग्राम पीरूआ थाना रानीपुर जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1.मु0अ0सं0- 315/2026 धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट, थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1.दिनांक- 17.09.2026
2.स्थान – ग्राम अलीपुर चट्टी के पास।

***प्रेसनोट* –**
दिनांक- 17.09.2026
थाना घोसी, जनपद मऊ।

गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत शातिर अपराधी को किया गया जिलाबदर

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी घोसी श्री सत्येन्द्र भूषण तिवारी के कुशल नेतृत्व में थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 17.09.2026 को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय जनपद मऊ के आदेश दिनांक 18.08.2026 के अनुपालन में वाद सांख्या 1269/2022 कम्प्यूटरीकृत वाद सांख्या- डी202215510001269 सरकार बनाम अजय यादव अन्तर्गत धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधियम 1970 के तहत क्षेत्र में

शान्ति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अभियुक्त अजय यादव पुत्र रमाकान्त यादव निवासी मुजार बुजुर्ग थाना घोसी जनपद मऊ को 06 माह की अवधि के लिए जनपद मऊ की सीमा से निष्कासित/ जिलाबदर की कार्यवाही किया गया।

अभियुक्त का नाम पता

1. अजय यादव पुत्र रमाकान्त यादव निवासी मुजार बुजुर्ग थाना घोसी जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1.मु0अ0सं0 1209/15 धारा 147/323/325/504/506 भा0द0वि0
2.मु0अ0सं0 296/18 धारा 323/506 भा0द0वि0
3.मु0अ0सं0 354/19 धारा 504/506 भा0द0वि0
4. मु0अ0सं0 488/20 धारा 394/307/397/120बी/411 भा0द0वि0
5. मु0अ0सं0 521/20 धारा 307/419/420/467/468/471/120बी भा0द0वि0
6. मु0अ0सं0 523/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
7. मु0अ.0सं0 830/2020 धारा 3(1) गैगेस्टर अधि0

जिलाबदर करने का दिनांक

1.दिनांक- 17.09.2026

प्रेसनोट –

दिनांक- 17.09.2026

थाना रामपुर, जनपद मऊ।

आर्म्स एक्ट के मामले में एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक अदद अवैध चाकू बरामद

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री दिनेश दत्त मिश्र के कुशल नेतृत्व में थाना रामपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 16.09.2026 को बहादुरपुर गली के आगे नहर के पास से मु0अ0सं0- 80/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर जनपद मऊ से सम्बन्धित अभियुक्त कृष्णा गोड़ पुत्र जयप्रकाश गोड़ निवासी ग्राम युसुफपुर थाना रामपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध चाकू बरामद हुआ। उक्त के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1. कृष्णा गोड़ पुत्र जयप्रकाश गोड़ निवासी ग्राम युसुफपुर थाना रामपुर जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0- 80/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर जनपद मऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1.दिनांक- 16.09.2026

2.स्थान – बहादुरपुर गली के आगे नहर के पास।

***प्रेसनोट* –**

दिनांक- 17.09.2026

थाना मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ।

आर्म्स एक्ट के मामले में एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक देशी तमंचा व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर व चोरी की एक मोटर साइकिल बरामद

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मुहम्मदाबाद गोहना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 16.09.2026 को बन्दाघाट तिराहे के पास से मु0अ0सं0- 321/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ से सम्बन्धित अभियुक्त आशीष यादव पुत्र रजई यादव निवासी ग्राम कमालपुर कोलौरा थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की एक मोटर साइकिल नं0 UP 50AK 5024 तथा एक देशी तमंचा व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद बरामद किया गया। उक्त के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 323/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1.आशीष यादव पुत्र रजई यादव निवासी ग्राम कमालपुर कोलौरा थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0- 321/2026 धारा 303(2) ,317(2) बीएनएस थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ।
2. मु0अ0सं0- 323/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1.दिनांक- 16.09.2026

2.स्थान – बन्दाघाट तिराहे के पास।

बरामदगी का विवरण

1.सुपर स्प्लेण्डर तथा नम्बर प्लेट पर UP 50AK 5024 बरामद (सम्बन्धित मु0अ0सं0 321/206)

2.एक देशी तमंचा व एक जिन्दा कारतुस .315 बोर बरामद (सम्बन्धित मु0अ0स0 323/26)

***प्रेसनोट*–**

दिनांक- 17.09.2026

थाना दक्षिणटोला, जनपद मऊ।

मारपीट के मामले में वांछित एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक अदद अवैध चाकू बरामद

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिणटोला पुलिस टीम द्वारा दिनांक 16.09.2026 को मल्लूपुर मोड़ के पास से मु0अ0सं0- 135/2026 धारा 118(1), 352, 351(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त गुलशन कुमार पुत्र पन्नालाल निवासी ग्राम औरंगाबाद बंधा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध चाकू बरामद हुआ। उक्त के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1. गुलशन कुमार पुत्र पन्नालाल निवासी ग्राम औरंगाबाद बंधा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1.मु0अ0सं0- 135/2026 धारा 118(1), 352, 351(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1.दिनांक- 16.09.2026

2.स्थान – मल्लूपुर मोड़ के पास।

***प्रेसनोट*–**

दिनांक- 17.09.2026

थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ।

जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा पीडितों का फ्रॉड हुआ कुल धनराशि- 21,348/- (इक्कीस हजार तीन सौ अडतालीस रुपया) पीडितों को वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारीगण के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर साइबर पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 17.09.2026 को मोबाइल पर फोन कर यूपीआई के माध्यम से पीड़ितों /आवेदको के खाते से फ्राड की गयी कुल धनराशि- 21,348/- (इक्कीस हजार तीन सौ अडतालीस रुपया) MRM PORTAL के माध्यम से साइबर पुलिस टीम जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया।

***थानावार विवरण*-**

1.थाना कोतवाली नगर साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित /आवेदक मो0 साकिब निवासी ग्राम हरिकेशपुरा थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ को कुल धनराशि – 3,330/- रूपया वापस कराया गया।

2.थाना कोतवाली नगर साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित /आवेदक मो0 साजिद रजा निवासी रमाकान्त पेट्रोल पम्प थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ को कुल धनराशि – 18,018/-रूपया वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें । साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

***प्रेसनोट* –**

दिनांक- 17.09.2026

जनपद मऊ।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक 17.09.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया

इस अभियान के अंतर्गत 28 टीम गठित कर जनपद के 28 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1380 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 412 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान व 02 वाहनो को सीज किया गया, साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।